प्रेस नोट 04/11/2023

04 शातिर पशु तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से ट्रक वाहन मे क्रूरतापूर्वक लदे 17 राशि मवेशी (भैंस) बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन मे अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के के क्रम में थाना कोपागंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 04.11.23 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर डाडी तिराहा के पास चेकिंग के समय एक ट्रक को रोकने का इशारा किया गया कि ट्रक से चार ब्यक्ति उतरकर भागने लगे की पुलिस वालो को शक होने पर दौड़ाकर पकड़ लिया गया। पकड़े गये ब्यक्ति से भागने का कारण पूछा गया तो बताये कि हम लोग मिलकर चोरी की भैस, पाड़ा व पड़िया काटने हेतु बेचने के लिये इस ट्रक से लेकर जा रहे थे पकडे जाने के भय से भाग रहे थे। तत्पश्चात उक्त ट्रक में कूरतपूर्वक लदे 10 राशि भैस व 06 राशि पाड़ा व 01 राशि पाड़ी को बरामद किया गया जिन्हे क्रूरता पूर्वत बांधकर स्लाटर हाउस उन्नाव के लिए ले जाया जा रहा था। जिनमे से एक भैंस को थाना क्षेत्र दोहरीघीट से चोरी किया गया था। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 299/23 धारा 411 भादवि. व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. वसीम अहमद पुत्र स्व.खुर्शीद अहमद निवासी काजिपुरा सिविल लाईन चौकी थाना कोतवाली नगर जनपद बलिया।
2. जहांगीर पुत्र स्व.बदरूद्दीन निवासी काजिपुरा सिविल लाईन चौकी थाना कोतवाली नगर जनपद बलिया।
3. चालक नारेन्द्र शंकर यादव पुत्र जुग्गीलाल यादव निवासी फतेहगंज थाना पुरवा जनपद उन्नाव।
4. मोहित पुत्र राम पाल निवासी नयाखेड़ा थाना सोहरा मऊ जनपद उन्नाव।

बरामदगी–

1. एक ट्रक वाहन में लदे कुल 10 राशि भैस व 06 राशि पाड़ा व 01 राशि पाड़ी।

गोवध निवारण के कम में 02 गौ–तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से पिकअप वाहन में कूरतापूर्वक लदी गोवंश बरामद–

थाना हलधपुर पुलिस द्वारा दिनांक 03.11.2023 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान डीह तिलक ठाकुर के पास से एक पिकअप में कूरतपूर्वक लदी एक राशि गोवंश बरामद कर वाहन में बैठे 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उक्त द्वारा अपना नाम आकाश राजभर पुत्र अजय निवासी सलाहाबाद थाना सरायलखंसी व रानू पुत्र मुसई निवासी पुराघाट थाना कोपागंज मऊ बताया गया। इस सम्बन्ध में उक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 224/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवा0 अधि0 व 11 पशु कूरता अधि0 के अर्न्तगत अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।